

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या:...../विकास/

दिनांक:.....

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, से 2021-2022 तथा रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-2022 तक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को शासन द्वारा अवमुक्त अनुदान के उपयोग की अवधि दिनांक 31.03.2023 तक विस्तारित किये जाने के क्रम में मदवार आंवटित धनराशि तथा मेनपावर हेतु स्वीकृत/अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है उन्हें पुनः मेनपावर व मदवार आंवटित धनराशि का पृथक से अनुमोदन/स्वीकृत लिये जाने की आवश्यकता नहीं है, वशर्ते आंवटित मदवार प्राप्त अनुमोदन की सीमा के अन्तर्गत ही नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)

कुलसचिव

पत्रांक P-13891-94 दिनांक 16/04/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 2-अधिष्ठाता, शोध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 3-समस्त प्रधान अन्वेषक, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स/रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना, ल०वि०वि० लखनऊ।
- 4-इचार्ज बेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव